ई॰ मेल

महत्वपूर्ण / तत्काल

संख्या– 68 / 9–1–2018–355सा / 17

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
2. जिलाधिकारी पीलीभीत।
3. जिलाधिकारी सोनभद्र।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 16 जनवरी, 2018

विषय–नगर पंचायत सुबेहा, जनपद बाराबंकी, नगर पंचायत, कलीनगर जनपद पीलीभीत तथा नगर पंचायत रेनूकूट, जनपद सोनभद्र के बोर्ड के कार्यकाल के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नगर पंचायत सुबेहा, जनपद बाराबंकी, नगर पंचायत, कलीनगर जनपद पीलीभीत तथा नगर पंचायत रेनूकूट, जनपद सोनभद्र का गत निर्वाचन कतिपय कारणों से नगरीय निकाय सामान्य (माह मई 2012 से माह जलाई 2012 के मध्य) निर्वाचन, 2012 के साथ न होकर बाद में (माह जनवरी 2013 से माह फरवरी 2013 के मध्य) हुआ था, परन्तु उक्त निकायों में निर्वाचन, सामान्य निर्वाचन, 2017 के साथ हुआ है। अतः उक्त तीन निकायों में निर्वाचन लगभग छः माह बाद हुआ था।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 10–"क" में नगर पालिका के कार्यकाल के संबंध में नगर पालिका के संबंध मेंयह व्यवस्था दी गयी है कि प्रत्येक नगर पालिका जब तक कि धारा–39 के अधीन पहले ही विघटित न कर दी जाय, उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से 05 वर्ष तक, न कि उससे अधिक बनी रहेगी अर्थात प्रथम बैठक से कार्यकाल मानते हुए 05 वर्ष का समय प्रदान किया जाना विधि सम्मत व मान्य होगा।"

3. अतः उपरोक्त व्यवस्था के आलोक में उक्त 03 नगर पंचायतों में प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से 05 वर्ष तक पूर्ण होने के उपरान्त ही नये गठित बोर्डों की प्रथम बैठक आहूत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Manoj 16.1.18
(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2– अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सुबेहा, जनपद बाराबंकी, नगर पंचायत, कलीनगर जनपद पीलीभीत तथा नगर पंचायत रेनूकूट, जनपद सोनभद उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)।
3– सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायत एवं स्थानीय निकाय लखनऊ।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

EL-17-Go